बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

## साक्षात्कार कार्यक्रम

**विज्ञापन संख्या – 90/2014 के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि–7 के सहायक निदेशक (उद्यान) के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अतिरिक्त सफल घोषित उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश–**

| दिन एवं दिनांक | प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) | द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) |
|---|---|---|
| | उम्मीदवारों का अनुक्रमांक | उम्मीदवारों का अनुक्रमांक |
| शनिवार 14.12.2019 | xxxx | 900027, 900039, 900232, 900441, 900630, 900666, 900704, 900710, 900900, 901021 |

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व** से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I भी उपलब्ध रहेगा जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**
3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–**
   - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
   - (ii) कृषि संकाय से उद्यान विज्ञान में स्नातक का अंक पत्र।
   - (iii) कृषि संकाय से उद्यान विज्ञान में स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र।
   - (iv) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**
   - (v) क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
   - (vi) निःशक्तता संबंधी मूल प्रमाण पत्र।
   - (vii) मूल पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

   **साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.01.2015 के पूर्व का ही होना आवश्यक है।**

   **यदि आप अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा विकलांगता के स्तर, आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।**
4. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
5. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
6. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

30.11.19

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना